न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

आगर-सारंगपुर रोड, आगर-मालवा, **465441** फोन नं.(O) 07362-259100, (Fax)260700

E-mail: dmagarmalwa@nic.in, Website:- www.agarmalwa.mp.gov.in

क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 133 आगर-मालवा दिनांक 28/03/2020

::आदेश::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस **COVID-19** बीमारी को **WHO** द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है। विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मिडिया पर फैल रही अफवाहो को दृष्टिगत रखते हुए आगर मालवा जिले में भी सोशल मिडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

2. अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं, **संजय कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला आगर-मालवा**, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान माल को सुरक्षित रखने हेतु जिला आगर-मालवा मे निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ:-

*"जिला आगर-मालवा की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह फैलाने वाले सन्देश **(Messages)** छायाचित्र **(Pictures)**, ध्वनि संदेश **(Audio Message)** एव चल छायाचित्र **(Videos)** का प्रसारण **(Broadcasting)** सोशल साईट्स यथा **Whatsapp, Facebook, Twitter**, इत्यादि पर **Forwarding/Posting/Commenting/Cross Commenting** इत्यादि के माध्यम से किया जाना प्रतिबंधित किया जाता है।"*

3. उक्त आदेश दिनांक 29/03/2020 से 14/04/2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि मे इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आकर सम्बंधित के विरूद्ध अभियोजन किया जावेगा।

4. यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि संबंधित जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जा सके। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

..............................निरंतर

Scanned with CamScanner

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी थती में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावें।

6. यह आदेश दिनांक 28.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 134 आगर-मालवा दिनांक 28/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेंज, उज्जैन।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला आगर-मालवा।
5. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), आगर-बडौद/सुसनेर-नलखेडा जिला आगर-मालवा की ओर पालनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), आगर-बडौद/सुसनेर-नलखेडा जिला आगर-मालवा की ओर पालनार्थ ।
7. थाना प्रभारी, पुलिस थाना, आगर/बडौद/सुसनेर/नलखेडा/सोयतकलां/कानड जिला आगर मालवा।
8. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसील आगर/बडौद/सुसनेर/नलखेडा जिला आगर-मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, जिला आगर-मालवा की ओर प्रकाशनार्थ।
10. गार्ड फाईल।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला आगर-मालवा(म.प्र.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला आगर-मालवा

Scanned with CamScanner